न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-12/2022

राज्य

बनाम्

नवाज अंसारी वगैरह

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 199/अप0शा0 दिनांक 31.01.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज का अवलोकन किया।

यह वाद महुआडांड़ थाना काण्ड संख्या–69/2021 दिनांक–15.09.2021 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा धारा–379/414 भा0द0वि0, धारा–4(1ए)/21 MMDR Act, धारा–54 जे0एम0एम0सी0आर0 एक्ट एवं धारा–13 जे0एम0 (PIMTS) एक्ट के तहत अवैध बालू खनन कर परिवहन के आरोप में कांड में जप्त 1. ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH08E-0924 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03B-7435 तथा 2. ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH03L-6931 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03L-3503 को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि वादी जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के टंकित आवेदन के आधार पर महुआडांड़ थाना काण्ड संख्या–69/2021 दिनांक 15.09.2021 में जप्त 1. ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH08E-0924 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03B-7435 वाहन मालिक सुमन केरकेट्टा पिता–मतयस केरकेट्टा ग्राम–तेवाही, थाना–महुआडांड़, जिला–लातेहार तथा 2. ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH03L-6931 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03L-3503 का मालिक नवाज अंसारी, पिता–ताहिर अंसारी, ग्राम–अक्सी, थाना–महुआडांड़, जिला–लातेहार को अवैध बालू खनन कर व्यापार के लिए अवैध रूप से बालू का उत्खनन करने का आरोप सत्य पाया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के टंकित आवेदन में बताया गया है कि थाना प्रभारी महुआडांड़ के ज्ञापांक 820/2021 दिनांक 14.09.2021 में उल्लेख किया गया है कि थाना प्रभारी महुआडांड़ द्वारा दिनांक 14.09.2021 को समय 09:45 बजे प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर महुआडांड़ थाना सन्हा संख्या–18/2021 दिनांक 14.09.2021 दर्ज कर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई

करते हुए जांच के क्रम में मौजा चटकपुर थाना–महुआडांड़ के पोटम नदी के पास 1. ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH08E-0924 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03B-7435 तथा 2. ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH03L-6931 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03L-3503 नदी से बालू खनिज का उत्खनन कर लोड किया जा रहा था। पुलिस बल को आते देख ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH08E-0924 के चालक एवं बालू खनिज के अवैध उत्खनन में संलिप्त व्यक्ति/लेबर फरार हो गये तथा ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH03L-6931 के वाहन चालक को शसस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। उक्त वाहन चालक से वैध कागजात की मांग किये जाने पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बताया गया कि उक्त वाहन के स्वामी स्वयं हैं तथा ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH08E-0924 के मालिक सुमन केरकेट्टा है, वाहन मालिक द्वारा इस ट्रैक्टर को नवाज अंसारी को दिनांक 31.07.2019 को बेचा गया है, जो अपने नाम पर वाहन को ट्रांसफर नहीं कराया गया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ट्रैक्टरों द्वारा नदी से अवैध बालू खनिज का उत्खनन कर बालू खनिज का उठाव एवं परिवहन किया जा रहा था। उक्त दोनों ट्रैक्टर वाहन के ट्रॉली पर लदे लगभग 50–50 सी0एफ0टी0 बालू खनिज को वाहन सहित जप्त कर महुआडांड़ थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1788/एम0 दिनांक 15.09.2021 में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता (NGT) द्वारा वाद संख्या–O.A. No.-120/2016/EZ Rezwan-Vrs-State of Jharkahdn & Ors में पारित आदेश दिनांक 17.08.2016 के आलोक में राज्यान्तर्गत बालूघाटों से बालू का उठाव वर्षा ऋतु अर्थात दिनांक 10.06.2020 से 15.10.2020 तक किसी भी परिस्थिति में नदी से बालू खनिज का उठाव नहीं किया जाना है। यदि उक्त अवधि में किसी भी नदी से बालू का उठाव एवं परिवहन किया जाता है तो अवैध मानते हुए कार्रवाई किया जाना है।

विपक्षीगण को उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु विभिन्न तिथियों को नोटिस निर्गत किया गया तथा समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया इसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 11(v) में उल्लेखित है कि **"Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."**

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि काण्ड में

जप्त 1. ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH08E-0924 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03B-7435 तथा 2. ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH03L-6931 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03L-3503 के द्वारा बालू का अवैध परिवहन किया गया है। अतः जप्त 1. ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH08E-0924 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03B-7435 तथा 2. ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH03L-6931 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH03L-3503 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, महुआडांड़ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 12:46:38 +05:30
Location: 10.93.47.5